लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3177

जिसका उत्तर बुधवार, 19 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

3177. डॉ. लता वानखेड़े:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और जमाखोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) इन प्रयासों से आम जनता को किस हद तक प्रत्यक्ष लाभ हुआ है;
(ग) क्या यह सच है कि 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना प्रवासी कामगारों और गरीबों के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई है जिससे उन्हें कहीं भी आसानी से राशन उपलब्ध हो रहा है;
(घ) इस योजना से अब तक कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं; और
(ड.) इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 555 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत चयनित आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। कीमतों और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों की दैनिक रिपोर्ट का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लगाने, व्यापार नीतिगत साधनों में परिवर्तन जैसे आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि पर उचित निर्णय लिए जा सकें। अंतर-मंत्रालयी समिति की नियमित रूप से, समीक्षा और विचार-विमर्श, आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य रुझानों की स्थिति और घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपायों का सुझाव देता है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है, ताकि बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अंशांकित और लक्षित तरीके से दालों और प्याज को जारी किया जा सके। बफर स्टॉक से दालों के स्टॉक का एक हिस्सा भारत दाल ब्रांड के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खुदरा

बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया जाता है। इसी तरह, भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आटा और चावल वितरित किया जाता है। थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सितंबर से दिसंबर, 2024 के दौरान बफर से प्याज को अंशांकित और लक्षित तरीके से जारी किया गया था। प्रमुख उपभोग केंद्रों में स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच बफर से प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम पर वितरित किया गया था। सरकार खाद्य तेलों की कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है तथा इन वस्तुओं को सस्ती कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

दालों के स्टॉक की निगरानी करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे ऑनलाइन स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टल के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955 के तहत व्यापारियों, डीलरों, आयातकों, मिलर, मिलर्स, स्टॉकिस्ट और बिग चेन रिटेलर्स जैसे विभिन्न संस्थाओं द्वारा शेयरों के प्रकटीकरण को सुनिश्चित करें। इन अधिनियम के तहत जमाखोरी को नियंत्रित करने की शक्तियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपी गई हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती है/जमाखोरी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संवेदनशील किया जाता है।

इन उपायों से आम उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिली है। समग्र खाद्य मुद्रास्फीति दर अक्टूबर, 2024 में 10.87% से घटकर फरवरी, 2025 में 3.75% हो गई है।

(ग) से (ङ): वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सुविधा के तहत सभी 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सक्षम की गई है, जो देश में लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ओएनओआरसी सुविधा एनएफएसए आबादी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है जो अस्थायी रोजगार, प्रवासी मजदूरों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) आदि की तलाश में अक्सर अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं। इस सुविधा के तहत, एनएफएसए लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने अधिकार का खाद्यान्न उठाने का अधिकार है। उस व्यक्ति के घर पर उसका परिवार भी उसी राशन कार्ड पर गृह राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रो में पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न का हिस्सा उठा सकता है। इसकी स्थापना के बाद से, ओएनओआरसी के तहत 168.5 करोड़ से अधिक पोर्टाबिलिटी ट्रांजेक्शन दर्ज किए गए है।

*****